न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला–बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 126/2023 ता0 रजू 13.09.2023

GCMS ID-2023/25

उनवान

1- कोटिल्य धाकड आयु 22 वर्ष पुत्र सुभाषचन्द जाति धाकड निवासी 116/136 अग्रवाल फार्म ब्लॉक 116 सेक्टर 11 मानसरोवर जयपुर हाल निवास ग्राम सिघाड़ी तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज०

–वादी–

बनाम

1. नोला आ0 हीरा जाति माली निवासी ग्राम सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मेनका बाई पत्नी रामकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. गणेश आ0 उदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत :– तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–
श्री शम्भूदयाल शर्मा वकील वादीगण
श्री मुकेश शर्मा प्रतिवादी संख्या 1 व 2
प्रतिवादी सं0– 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांकः–26.03.2025

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 273 रकबा 1.3678 हैक्टेयर वाके ग्राम सिंघाडी पटवार मण्डल सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जिसकी नकल जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 की खतोनी संख्या 111 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी का 59/120 हिस्सा तथा प्रतिवादी नोला का 21/68 हिस्सा तथा प्रतिवादी मेनका बाई का 13/68 हिस्सा व प्रतिवादी गणेश का 1/120 हिस्सा है वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है। खाता शामलाती चला आ रहा है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में निहित वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि पर वादी ने आवारा मवेशियों से सुरक्षा हेतु तारपेंसिंग कर रखी है तथा अपने हिस्से की भूमि पर वादी ने उडद की फसल बो रखी है। इस प्रकार वादी अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता शामालाती होने के कारण भूमि का लगान पिलाई जमा कराने में आये दिन सहखातेदारान के मध्य विवाद होता है। यहां पर उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि की नहर से सिंचाई होती है और सिंचाई शुल्क को लेकर पक्षकारों में अनावश्यक विवाद होता है इसके साथ ही खाता शामलाती होने के कारण व शामलाती खाते की भूमि के प्रत्येक खसरा के प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारों का हिस्सा व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अधिकार होने से सहखातेदार अनावश्यक विवाद पैदा करते है तथा वादी खाता शामलाती होने से भूमि पर स्थायी संसाधन भी नहीं लगा पा रहा है इस कारण वादी विवादों से बचने के लिए अपने हिस्से की भूमि का माननीय न्यायालय से विधिवत बंटवारा करवाकर अपना पृथक खाता कायम करवाना चाहता है। वादी ने दिनांक 03.09.2023 को प्रतिवादीगण से आपसी सहमति से तहसील कार्यालय में चलकर भूमि का विभाजन करवाने का आग्रह किया तथा खाता पृथक करवाकर अपने अपने हिस्से की भूमि की तरमीम करवाने का अनुरोध किया लेकिन प्रतिवादीगण बंटवारा कराने से इंकार हो गये और वादी को धमकी दी कि हम भूमि का बंटवारा नहीं करवायेंगे तथा तुम्हारी भूमि के तारबाडे को नष्ट करेंगे। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त धमकी देने से व बंटवारा कराने से इंकार हो जाने से वादी को उक्त वाद का वादकरण अंतिम रूप से दिनांक 03.09.2023 को उत्पन्न हुआ है जो निरंतर जारी है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी, वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बांउडस के अनुरूप अपने हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा करवाकर अपना खाता पृथक कायम करवावे एवं बंटवारे में प्राप्त भूमि की पृथक से तरमीम करवावे एंवं बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करे तथा बंटवारे में प्राप्त भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने, सिंचाई में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवावे। वादग्रस्त भूमि ग्राम सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 भूमि के सहखातेदार होने व बंटवारे के वाद में भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार हिण्डोली को प्रतिवादी संख्या 4 बनाकर यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद अन्तर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे। भूमि खसरा संख्या 273 रकबा 1.3678 हैक्टेयर वाके ग्राम सिंघाडी पटवार मण्डल सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में निहित वादी के 59/120 की भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी का खाता पृथक कायम किया जावे एवं वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमि की राजस्व नक्शे में पृथक से तरमीम की जावे तथा वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा दिलाया जावे, तथा संभव वादी के कब्जे की भूमि ही वादी के हिस्से एवं बंटवारे में रखी जावे। वादी को हिस्से एवं बंटवारे में प्राप्त भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने, सिंचाई में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी को उपलब्ध एवं सुलभ हो प्रदान की जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। तथा प्रतिवादी नं. 01 व 02 की ओर से जबाव पेश कर मुताबिक वादपत्र के जमाबंदी में दर्ज हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवारा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। प्रतिवादी संख्या 03 वाबजूद तामिल के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है। प्रतिवादी संख्या 04 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 111 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम सिंघाडी पटवार मण्डल सहसपुरिया तहसील हिण्डोली पेश किये एवं वादी का शपथपत्र प्रस्तुत कर बयान गवाह दर्ज करवाए गए।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रतिवादीगण को भी मुताबिक रिकॉर्ड के बंटवारा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांकः– 01.02.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/25/155 दिनांकः– 23.01.2025 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस पक्षकारान के अधिवक्ता की सुनी गई। पक्षकारान के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकासान अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि ग्राम सिंघाडी की निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	कोटिल्य धाकड पुत्र सुभाषचन्द हिस्सा 59/120 जाति धाकड सा0 116/136, अग्रवाल फार्म ब्लॉक 116, सेक्टर 11, मानसरोवर, जयपुर खातेदार	273 A	0.6725
	योग	किता– 1	0.6725
2.	गणेश पुत्र उदा हिस्सा 1/120 जाति माली सा0 देह खातेदार	273 B	0. 01140
	योग	किता–1	0. 01140

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला दौसा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

3.	नोला पुत्र हीरा हिस्सा 21/68 जाति माली सा0 देह खातेदार	273 C	0.4224
	योग	किता– 1	0.4224
4.	मेनका बाई पत्नी रामकिशन हिस्सा 13/68 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार	273 D	0.2615
	योग	किता– 1	0.2615

नक्शे में वादी व प्रतिवादी के हिस्सो में रहने वाली भूमियों को प्रस्तावित नक्शें में ए,बी,सी,डी मार्क से दर्शाया गया है। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौनसिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिटी जिला करौली